Representations received from Delhi Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh

7339. SHRI JHARKHANDE RAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Central Board of Direct Taxes have advised the Commissioner of Income-tax, Delhi not to entertain any representation on various problems of the employees of the Department; and
- (b) if not, the number of representations received from Delhi Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh from 1st April, 1973 to 31st December, 1973 and number of communications replied to?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) No, Sir.

(b) Ten representations raising matters of specific nature were rεceived by the Commissioner of recome-taχ, Delhi, from the Delhi Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh between 1st April, 1973 and 31st December, 1973. All were replied to. Nine other representations of general nature did not call for a specific reply.

12-बोर के कारतुसों के ग्रायात पर प्रतिबंध

7340. श्री फूल श्वन्द वर्माः क्या शासिश्य मंत्री यह इत ने की कृपा करेगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1970 में केवल राइफनों के कारतूसों के भायात के लिए साइसैंस दिए गए थे परन्तु 12 बोर के किसी भी प्रकार के कारतूसों के भायात पर प्रतिबन्ध था ;
- (ब) क्या वर्ष 1970 में फांस में बने 12-बोर के विश्लोट मार्का कारतूसों का भारत में बड़ी माला में झायत किय गया य ; बौर 426 LS-4

(ग) यदि हा, तो किसने भ्रीर कैसे इन कारतुनो का भ्रायात किया था ?

वाणिक्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० वार्क): (क) 1969-70 तथा 1970-71 लाइसीमग प्रविश्वित के लिए ब्रायात नीति के अनुसार, मलग्न विवरण में बताए गये कारतूमों को छोडकर इस प्रकार के कारतूमों के ब्रायात ही अनुसति है।

(ख) ग्रीर (ग) कारतूरो के ग्रायानों के ब्रांड-दार तथा ग्रायानक-वार ग्राकडे नही रखे जाते।

विवरण

1969-70

- (क) 8 मि० मी० / 315 स्पोटिंग कारतूम ।
- (ख) 22 बोर लम्बी राइफलों के कारतूस।
- (ग) कारत्स 12 वोर 2-1/2" छोटे साइज 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बी बी, एए ए झादि एल जी, एस जी, गोली वाले तथा 12 बोर 2-1/2" कारत्म ।
 - (घ) कारतूम एम ए बाल रिवोल्बर 380 ।
 - (ङ) कारतूस 380 ब्लैंक।
 - (च) कारतूस 12 बोर 2" लम्बी छोटी 2, 4, 6 तथा 7।
 - (छ) गोला बारूद मदों के सम्बन्ध में जिसके झायात की अनुमति नही है, कारतूस के खोल झादि जैसे संघटक ।

नोट: --- अमरीकन 12, जी ए नं० 00 बक कारतूसों का आकार एस जी कारतूसों के बराबर होता है।

1970-71

(क) 8 मि॰मी॰/ 315 स्पीटिंग कारतस ।

Written Answers

- (ख) 22 वोर लम्बी राइफलो के कारतूस ।
- (ग) 8 मि॰ मी॰ / 315" स्पोर्टिंग कारतूस 244 ग्रा० सोफ्ट नोज्ड गोली ।
- (ब) कारतूस 8 मि० मी० / 315" ग्रा० स्पिलिट सोफ्ट नोज्ड गोली।
- (ङ) 200 ग्रा० ठोस गोली सहित 8 मि० मी० / 315" कारतुस ।
- (च) कारतूम 22" झार एफ छोटी।
- (छ) कारतूस 22" ग्रार एफ लम्बी।
- (ज) कारतूस 22" उच्च वर्ग।
- (झ) कारतूस एस ए बाल रिबोल्बर 380
- (ट्रा) कारतूस 380 ब्लैक
- (ट) कारतूस 32" रिवोल्वर लम्बी ।
- (ठ) कारतूस 32" रिबोस्वर छोटी।
- (ड) कारतूम 32" रिवोल्वर स्टार्टर।
- (इ) कारतूस 32" (8.65) मि॰ मी० पिस्तील
- (ण) कार्त्स 12 बोर 2-1/2" सभी छोटे झाकारों की, वी० बी०, एएए, मादि एल जी / एम जी तथा गोली बाल।
- (त) सभी छोटे साइजों की 12 बोर 2-3/4" की कारतूस
- (ब) सभी छोटे साइजों की 12 बोर 2" की कारतस
- (द) 16 बोर की कारतस।

- (व) 29 बोर की कारतूस ।
- (न) गोला बारूद महों के सम्बन्ध में जिमके भायात की भ्रम्भित नहीं है कारतूस के खोल जैसे संबटक ।

नोट :-- अमरीकम 12 जी ए नं० 00 बड़े कारतूम जिनका भाकार एस जी कारतूस के बराबर है।

Misuse of Import Licences

7341. SHRI DHAMANKAR:

SHRI D. B. CHANDRA-GOWDA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) whether there have been any instances of misuse of Import Licences in the shape of illegal transfers of the licences and failure to fulfil conditions stipulated in the licences:
- (b) if so, whether Government contemplates to impose any deterrent fines and penalties to curb their misuse by the defaulters;
- (c) whether there is any statutory provision for imposition of penalty against such defaulters:
- (d) if not, how the levy of penalty is proposed to be regulated, and
- (e) will there be any appellate authority?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes. Sir.

- (b) here is no provision at present for imposing fines for such offences except by a Court of Law when prosecution of the party is undertaken.
- (c) and (d). Statutory provisions exist for penalising the person who misuses an import licence. They are
 - (i) Prosecution in cases of serious offences: and